

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 88/2022 (GCMS No. 2022/453)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1- जब्बार खां पुत्र हमीर खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर		1- परियोजना निदेशक- परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर 2-सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर 3-परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत बीकानेर

आर्बिट्रेशन आवेदन/प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, सपठित भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013।

उपस्थिति:-

दिनांक: 08.01.2025

1. श्री धीरेन्द्र दाधीच (प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता)- उपस्थित
2. श्री मनोज गहलोत (अप्रार्थीपक्ष-2, 3 के अधिवक्ता)- उपस्थित
3. अप्रार्थीपक्ष 1-अनुपस्थित

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थ (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की भूमि जोधपुर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65/62 बस स्टेशन ग्राम बावड़ी में खसरा नंबर 1565 व 1566 में आई हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किये जाने के क्रम में सड़क के दोनों ओर की भूमि को अवाप्त किया गया था, जिसकी अधिसूचना संख्या 2329 दिनांक 12/09/2014 एवं अधिसूचना संख्या 2664 दिनांक 10/09/2015 को प्रकाशित की गयी, जिसमें अवाप्त की गयी भूमि की किस्म बारानी द्वितीय एवं बारानी तृतीय दर्शाई गई। इस पर प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों व खातेदारान् ने एतराज प्रस्तुत किया कि अवाप्त की



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

जा रही भूमि मौके पर वाणिज्यिक/आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही हैं, जबकि मुआवजे की राशि की वाणिज्यिक/आवासीय दर से गणना नहीं की जा रही है। साथ ही प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों व खातेदारान् ने अवाप्त की जा रही भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक/आवासीय दर से दिलाने का व भूमि पर किये हुए निर्माण कार्य व अन्य सुख सुविधाओं का भी मुआवजा दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों व खातेदारान् के एतराज पर अधिसूचना संख्या 3091 दिनांक 12/11/2015 एवं अधिसूचना संख्या 2094 दिनांक 13/06/2016 के द्वारा अवाप्त की गयी भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन दर्शाते हुए हितबद्ध व्यक्तियों के नाम गजट में प्रकाशित किये गये एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि रूपान्तरण) ने पत्रांक 1833 दिनांक 03/07/2017 के द्वारा तहसीलदार बावड़ी को खसरा नंबर 1565 व 1566 की जांच रिपोर्ट रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देश दिया जिस पर तहसीलदार बावड़ी ने पत्रांक 1278 दिनांक 11/07/2017 को उक्त खसरो का संपरिवर्तन आदेश, मौके पर कब्जा /मालिकाना हक अनुसार निर्माण किया हुआ प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना उचित व प्रभावित व्यक्तियों के पास उपलब्ध अभिलेख व राजस्व रिकार्ड के साथ जांच की गई, नजरी नक्शा के साथ मौका की जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) ने अपने पत्र क्रमांक 4070 दिनांक 07/09/2018 के जरिये तहसीलदार बावड़ी खसरा नंबर 1565 व 1566 के खातेदारों जिनकी भूमि अवाप्त हो रही है, एवं जो व्यक्ति उक्त खसरा में हितबद्ध व्यक्ति कहा है, को अपना आवेदन अलग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। जिसकी अनुपालना में प्रार्थी एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों एवं भू-स्वामियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इसके पश्चात् प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65/62 के लिये अवाप्त की गयी भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी को अदा नहीं कर राज्य सरकार में जमा करवा दी गयी है। विधि अनुसार रूपान्तरित भूमि के मुआवजे की राशि को प्राप्त करने का अधिकार भूमि धारक/भू-स्वामी का होता है। प्रार्थी के द्वारा अवाप्त की गयी भूमि में अपनी भूमि के मालिकाना अधिकार के दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये थे जिसको नजरअंदाज किया जाकर मुआवजा राज्य सरकार के खाते में जमा किया गया है। इसके अलावा मुआवजा की गणना प्राधिकारी के द्वारा सही ढंग से नहीं की गयी है, क्योंकि अवाप्त की गयी भूमि वाणिज्यिक/आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है, और उस पर दुकानें/भवन निर्मित था, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकारी के द्वारा तहसीलदार बावड़ी से रिपोर्ट मांगी गयी थी जिस पर तहसीलदार बावड़ी ने विस्तृत रिपोर्ट मय नक्शा एवं अन्य स्वामित्व दस्तावेजात् एवं रिकार्ड के प्रस्तुत किया था जिससे भी प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट था कि अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक/आवासीय दर से निर्धारित कर उसकी गणना करनी चाहिये थी साथ ही भूमि पर बने हुए भवन का भी मुआवजा हितबद्ध व्यक्ति को देना चाहिये। लेकिन दस्तावेजात् को व तहसीलदार की रिपोर्ट को अनदेखा कर मुआवजा की राशि निर्धारित की गयी है और भूमि पर बने हुए भवन व बिल्डिंग के सम्बन्ध में मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की गयी है, जो कि सरासर गलत व गैरकानूनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65/62 पर स्थित खसरा नंबर 1565 व 1566 पर कई वाणिज्यिक दुकानें/आवासीय भवन नियमानुसार सड़क के मध्य बिन्दू से 50 फुट छोड़ कर बनाई गई हैं, परन्तु मौके पर सहबन से व तथ्यात्मक भूल के चलते पूर्व में गलत सर्वे कर विधिवत भू-स्वामी की भूमि को सरकारी भूमि बताकर मुआवजा निर्धारित कर दिया गया है, जो गलत व नियमों के विरुद्ध है। इन खसरो में जारी संपरिवर्तन आदेश के अनुसार सड़क के मध्य बिन्दू से 50 फुट पर हितबद्ध व्यक्तियों के प्लॉट/भूमि/भूमि में निर्माण कार्य किया हुआ है, जिस पर संबंधित भू-स्वामी काबिज हैं। इन परिस्थितियों में मुआवजा निर्धारित करने में हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी व हितबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में मुआवजा राशि का अवाई जारी किया जाना कानूनन एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी ने जारी किये गये अवाई में शुद्धि के लिये सक्षम प्राधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पत्र क्रमांक/भू-अवाप्ति/एन. एच.65/2021/358 दिनांक 24/03/2021 के द्वारा उन्होंने अवाई को संशोधित करने हेतु सक्षम नहीं होने से प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में आपत्ति का अनुतोष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिस पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। नेशनल हाईवे



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

एक्ट की धारा 3 (जी) (5) के अनुसार ऐसे मामलों में जहां पर हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है अथवा मुआवजा की राशि की गणना सही ढंग से नहीं की गयी है अथवा उनके पुर्नवास के बाबत कोई आपत्ति है या अन्य आपत्तियां हैं तो ऐसे मामलों में जिला कलेक्टर को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर वह माध्यस्थ के तौर पर उनका निस्तारण करेगा। इस प्रकरण में भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा मुआवजा की गणना सही ढंग नहीं की गयी है और भूमि की वाणिज्यिक/आवासीय उपयोग तहसीलदार की रिपोर्ट प्रस्तुत रिपोर्ट व दस्तावेजात् को नजरअंदाज कर भूमि को वाणिज्यिक/आवासीय नहीं मानकर मुआवजा निर्धारित किया गया है, साथ ही भूमि पर निर्मित भवन/बिल्डिंग की कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इस कारण भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा यह प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्त की जा रही भूमि को गलत व गैरकानूनी तरीके से सरकारी सड़क की भूमि माना है क्योंकि अवाप्त की जा रही भूमि पर बनी हुई ईमारत सड़क के केन्द्र बिन्दू से 50 फुट की भूमि छोड़कर बनाई हुई है, इस सम्बन्ध में संपरिवर्तन आदेश व तहसीलदार की रिपोर्ट भी पत्रावली पर मौजूद है, जिसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं था। इसके बावजूद भी बिना किसी आधार के प्रार्थी के मालिकाना अधिकार की अवाप्त की गयी भूमि को सड़क सीमा की भूमि मानने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की गयी है। इस कारण भी प्रार्थी के पक्ष में एक बहुत ही मजबूत एवं प्रथमदृष्टया मामला बनता है। प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अवाप्त की गयी भूमि को वाणिज्यिक /आवासीय प्रयोजनार्थ मानते हुए उस पर बनी हुई बिल्डिंग की राशि के मुआवजे की भी गणना कर मुआवजे की राशि निर्धारित करने और निर्धारित मुआवजा की राशि का भुगतान प्रार्थी को किये जाने का निर्देश दिये जाने की इस्तदुआ की।

आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर (88/2022 (GCMS No. 2022/453) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज गहलोत वकालत हेतु पेश हुए। अप्रार्थीपक्ष-1 व 2 के नोटिस बाद तामिल लौटे। अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से दिनांक 10.07.2024 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से दिनांक 04.12.2024 को प्रस्तुत लिखित बहस व प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 16.12.2024 को प्रस्तुत लिखित बहस को रिकार्ड पर लिया गया।

अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से दिनांक 10.07.2024 को प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्तियां इस प्रकार है जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष मुआवजा नियमानुसार दिलाने के लिये प्रस्तुत किया गया है वह प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय ही नहीं है क्योंकि जिस अवार्ड के सम्बन्ध में राशियां प्राप्त करनी मानी गयी है वह अवार्ड दिनांक 30.12.16 को पारित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में अवार्ड को नये माध्यस्थम अधिनियम के अनुसार मात्र तीन माह में धारा 34 की आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए चैलेन्ज किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा निश्चित समयावधि में उपरोक्त अवार्ड को चैलेन्ज नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र प्रार्थी म्याद अवधि से वाधित होने के कारण पोषणीय ही नहीं होने से काबिले निरस्ती के है। माध्यस्थम अधिनियम के अर्न्तगत निश्चित समयावधि के पश्चात किसी भी अवार्ड को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में निश्चित समयावधि के पश्चात उक्त अवार्ड को चैलेन्ज ही नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह भी पूर्णतया गलत है। ऐसे प्रार्थना पत्र से कोई लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा मुआवजा की राशि को प्राप्त कर लिया गया और उसके 6 वर्ष पश्चात उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो किसी भी आधार में विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने आपको हितबद्ध बताया है परन्तु उसका क्या हित था उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तुत जवाब पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या-1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 1 में जो तथ्य लिखे गये है उनका कोई विवाद नहीं है। परन्तु प्रार्थी द्वारा दुर्भावना पूर्वक



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

तरीके से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसके द्वारा इस पद में खसराजात भूमि होना उल्लेखित किया है एवं दूसरे ही पद में उक्त भूमि आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि के रूप में काम में लेने के तथ्य लिखे हैं वह गलत है। क्योंकि मुआवजा हमेशा भूमि की किस्म के आधार पर दिया जाता है। मुआवजा निर्धारण करते समय जो भूमि किस्म थी उसी आधार पर अवार्ड पारित किया गया और उक्त अवार्ड के अनुसार ही सारी राशि प्रार्थी और समस्त हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त कर ली गयी। उसके उपरान्त भी उनके द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। पदसंख्या-02 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 2 में आपत्तियां प्रस्तुत करने के तथ्य लिखे हैं वह आपत्तियां कौनसे स्तर पर तारीख महीना साल को प्रस्तुत की गयी उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। पदसंख्या-03 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 3 में जो तथ्य लिखे गये हैं वह अवार्ड पारित होने के पश्चात की गयी पश्चातवृत्ति की कार्यवाही है एवं उसमें अगर कोई जाँच रिपोर्ट या मौका रिपोर्ट भिजवायी गयी है तो उससे कोई हक अधिकार प्रार्थी को उत्पन्न नहीं होता है एवं ना ही अन्य व्यक्तियों को उत्पन्न होता है। पदसंख्या-04 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 4 में जो तथ्य लिखे गये हैं जिसमें भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने पत्र के जरिए तहसीलदार बावडी को अपने आवेदन अलग से प्राप्त करने के जो निर्देश दिये गये। जिसकी अनुपालना में प्रार्थी एवं हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवेदन कौनसे साल, वर्ष एवं महिने में प्रतिवेदन किस स्तर पर प्रस्तुत किये उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पदसंख्या-05 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 5 में जो तथ्य लिखे गये हैं वह पूर्णतया गलत है। प्रार्थी को इस पद में लिखी गयी जानकारी कौनसे वर्ष, माह, साल में हुई उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं वह रसीद राज्य सरकार के कौनसे मद में जमा की गयी उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। मात्र गलत तथ्यों को उपरोक्त तथ्य लिखे गये हैं। जो अवार्ड पारित किया गया वह विधिक अवार्ड है और उस अवार्ड को विधिक समय में किसी भी विधिक स्तर पर चैलेन्ज नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में उक्त अवार्ड अन्तिम हो चुका है इसलिए कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। दोयम राज्य सरकार के खाते में अवार्ड के अनुसार अगर कोई राशि जमा है तो प्रार्थी और हितबद्ध व्यक्ति उसे प्राप्त करने का हक अधिकारी है। पदसंख्या-06 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 6 में जो तथ्य लिखे गये हैं वह पूर्णतया गलत है। मुआवजा की गणना भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से की गयी। उस पर जो आरोप लगाये गये हैं वह मिथ्या एवं निराधार है। इन परिस्थितियों में कोई लाभ प्रार्थी को प्राप्त नहीं होते हैं। एक तरफ भूमि को खाली होना उल्लेखित किया गया है दूसरी तरफ काम में लिया जाता था उल्लेखित किया गया है इसलिए सम्पूर्ण तथ्यों में परिवर्तन है। परन्तु जानबूझकर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उपरोक्त तथ्य लिखे गये हैं। राशि बढ़ाने की जो कार्यवाही की वह मात्र धारा 34 में तीन माह के भीतर भीतर की जा सकती थी। इन परिस्थितियों में वह अवधि निकल चुकी है एवं अवधि के पश्चात माध्यस्थम अधिनियम में ना ही धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं एवं ना ही म्याद को उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा कम किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में जो तथ्य उल्लेखित किये गये हैं वह गलत है। इन परिस्थितियों में उपरोक्त प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नहीं होने से काबिले निरस्ती के है। पदसंख्या-07 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 7 में जो तथ्य लिखे गये हैं वह पूर्णतया गलत है। इस पद में जो तथ्य लिखे गये हैं उसमें वाणिज्यिक दुकाने एवं आवासीय ठांव नियमानुसार बनाने के तथ्य लिखे हैं जो सभी गलत रूप से लिखे गये हैं। प्रार्थी व अन्य की भूमि ना ही वाणिज्यिक एवं ना ही रहवासीय परिवर्तन की हुई थी एवं ना ही उन पर विधिवत रूप से सम्बन्धित निकाय से भी कोई भूमि परिवर्तन नहीं करायी गयी। इन परिस्थितियों में जो आक्षेप भूमि अवाप्ति अधिकारी पर लगाये जा रहे हैं वह आक्षेप गलत है। जिसका कोई सम्बन्ध सच्चाई से नहीं है। मात्र अनुचित लाभ प्राप्त करने एवं येनकेन प्रकारेण अधिक सरकारी राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से उपरोक्त समस्त कार्यवाहियों की जा रही है। जिसका भी कोई हक



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

अधिकार प्रार्थी और अन्य को नहीं है। इन सबके द्वारा अविधिक रूप से उपरोक्त कार्यवाहीयां न्यायालय से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जा रही है। जिसका भी कोई हक अधिकार प्रार्थी को नहीं है। जानबूझकर अवार्ड को देरी से चैलेन्ज किया गया एवं बनावटी एवं फर्जी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय का दुरुपयोग करते हुए रिपोर्ट बनायी गयी और राशियां प्राप्त करने के लिये मिथ्या कार्यवाही की गयी है। पदसंख्या-08 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 8 में जो तथ्य लिखे गये हैं वह पूर्णतया गलत रूप से उल्लेखित किये गये हैं। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसको कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अवार्ड को चैलेन्ज माध्यस्थम अधिनियम के जरिए माध्यस्थम के समक्ष धारा 34 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। उसके उपरान्त भी जो पत्र अप्रार्थी स. 2 द्वारा दिनांक 24.03.21 को किया गया उसे भी एक साल तीन माह बाद चैलेन्ज किया गया है। इसलिए भी उपरोक्त प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। पदसंख्या-09 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 9 में जो तथ्य लिखे गये हैं वह भी गलत रूप से उल्लेखित किये गये हैं। हितबद्ध व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिनके आरोपो के अनुसार उनके प्रकरण का निस्तारण सही रूप से नहीं हुआ है उसके लिये जो विधि में प्रावधान है उसके अनुसार विधिवत रूप से उक्त अवार्ड को चैलेन्ज नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण काबिले निरस्ती के है। पदसंख्या-10 के जवाब में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 10 में जो प्रार्थना पत्र लिखे गये हैं वह पूर्णतया गलत है। सरकारी सडक पर अगर किसी के द्वारा कोई निर्माण करा लिया जाता है तो उसे उस भूमि का मालिकाना अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन नहीं है। इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। जवाब प्रार्थना पत्र के अंत में अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र सव्य निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से दिनांक 04.12.2024 को प्रस्तुत लिखित बहस में कहा गया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र उसके स्वयं के अनुसार प्रार्थना पत्र के पद स. 8 में लिखे अनुसार "सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवार्ड को संशोधित करने हेतू सक्षम नहीं होने से प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में आपत्ति के अनुतोष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।" अगर उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है जो विधि बाधित है। क्योंकि धारा 34 का प्रार्थना पत्र अवार्ड की दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वीकृत रूप से इस मामले में अवार्ड वर्ष 2016 में पारित कर दिया गया जो दिनांक 13.06.2016 को पारित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में उपरोक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी द्वारा आपत्तियों के प्रार्थना पत्र के पद स. 2 में यह स्वीकार किया है कि अधिसूचना वर्ष 2014 एवं 2015 में प्रकाशित होने पर "इस पद प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों एवं खातेदार ने एतराज प्रस्तुत किया इन परिस्थितियों में धारा 15 भूमि अर्जन अधिनियम के अर्न्तगत सम्बन्धित अधिकारिता वाले अधिकारी द्वारा इसके सम्बन्ध में आक्षेपो की सुनवाई कर ली इसलिए भी प्रार्थीगण को नहीं सुना गया यह आक्षेप लागू नहीं होते हैं।" प्रार्थना पत्र के पद स. 3 में भी प्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि "प्रार्थी व अन्य हितबद्ध खातेदारान के एतराज को अधिसूचना संख्या 3091 दिनांकित 12.11.2015 एवं अधिसूचना 2094 दिनांकित 13.06.2016 के द्वारा अवाप्त की गयी भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दर्शाते हुए हितबद्ध व्यक्तियों के नाम गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किये गये।" इन परिस्थितियों में हितबद्ध व्यक्तियों और प्रार्थी को पूर्णतया सूचित हो गया था और उस पर धारा 23 के तहत कलेक्टर द्वारा जाँच एवं भूमि अर्जन का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इन परिस्थितियों में उपरोक्त आपत्तियां भी इस स्तर पर स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा पद संख्या 05 में यह आक्षेप किया गया है कि मुआवजे की राशि प्रार्थी को अदा नहीं कर राज्य सरकार के खाते में जमा कर दी गयी है ऐसा क्यों हुआ उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वर्ष 2013 के भूमि अर्जन की धारा 75 के अनुसार प्रार्थी के सहमत नहीं होने के कारण धारा 77 के अर्न्तगत प्राधिकरण में राशि जमा करने का



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

प्रावधान है और हितबद्ध जाने वाला व्यक्ति चाहे वह प्रार्थी या कोई और व्यक्ति हो वह अण्डर प्रोटेस्ट उपरोक्त राशि प्राप्त कर सकता है जो उसके द्वारा नहीं की गयी। इन परिस्थितियों में भी उक्त आपत्ति चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी या अन्य द्वारा किसी भी अधिनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति है और यहां पर यद्यपि आपत्तियां प्रस्तुत की गयी है उसके उपरान्त भी दिनांक 24.03.2021 का आदेश जो अपर जिला कलेक्टर संख्या 03 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर उन्होंने आदेश पारित किया जो दिनांक 24.03.2021 का है अगर उसको भी अधिनिर्णय माना जावे तो उस आदेश की अपील धारा 69 या अन्य में मानकर धारा 74 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अर्न्तगत उक्त निर्णय से 60 दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता था। जो नहीं की गयी। उक्त दिनांकित 24.03.2021 के निर्णय के एक साल तीन माह बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो म्याद बाहर है। इन परिस्थितियों में भी उपरोक्त प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती है। आपत्ति प्रार्थना पत्र के पद स. 9 में नेशनल हाईवे की धारा 3 जी व 5 के अनुसार मुआवजे की गणना सही ढंग से नहीं करने पर एवं पुर्नवास के बाबत आपत्ति है तो वह कलेक्टर के सामने आपत्तियां प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आपत्ति ली गयी है। जो भी पूर्णतया गलत है। नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 4 के अनुसार रोड और रेल की पटरियों के लिये अगर कोई भूमि अवाप्त की जाती है तो उसमें पुर्नवास के कोई प्रावधान नहीं होते है। इसलिए पुर्नवास वाले तथ्य पूर्णतया गलत साबित हो जाते है। अधिकतम जो कि प्रार्थी का कैस नहीं है और ना ही उनके द्वारा आधार लिया गया है उसके पश्चात भी धारा 64 के अर्न्तगत किसी भी प्रकार का अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करने पर जिला कलेक्टर ऐसे मामलो में अगर किसी व्यक्ति द्वारा तथाकथित अधिनिर्णय के भीतर एक वर्ष की और अवधि के भीतर ऐसे मामलो को ग्रहण कर सकता है परन्तु उपरोक्त मामला दिनांक 24.03.2021 को निर्णय के एक वर्ष तीन माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है इन परिस्थितियों में जिला कलेक्टर ऐसे किसी मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है और ना ही वह किसी भी प्रकार के अधिकरण को आदेश दे सकता है। जो आपत्तियां प्रार्थी द्वारा ली गयी है वह सभी आपत्तियां विधिक रूप से पोषणीय नहीं है सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में उपरोक्त प्रार्थना पत्र देरीना प्रस्तुत करने के कोई आधार नहीं लिखा है। लिखित बहस के अंत में अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्तियां चलने योग्य नहीं होने से प्रकरण काबिले निरस्ती होना बताया।

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 16.12.2024 में कहा गया कि अप्रार्थी संख्या-2 व 3 के द्वारा लिखित बहस के दौरान यह आपत्ति उठाई गई है कि प्रार्थी की ओर से अगर प्रार्थनापत्र धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है तो वह विधि द्वारा बाधित है, क्योंकि ऐसा प्रार्थनापत्र अवार्ड पारित होने की दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या-2 व 3 ने पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है क्योंकि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र धारा 3 (जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर रेफरेन्स के लिये निवेदन किया गया है। इन परिस्थितियों में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा उठाई गई आपत्ति गलत व निराधार है। प्राथी एवं अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनकी भूमि अवाप्त की जा रही थी, जो गलती से राज्य सरकार के खाते में चढ़ जाने से प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा की कोई राशि प्रदान नहीं की गयी और न ही उनका नाम अवार्ड में दर्ज है, इन परिस्थितियों में प्रार्थी के विरुद्ध कोई अवार्ड पारित नहीं किया होने से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से उठाई गई आपत्तियां लागू नहीं होती है। जिस पर प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा एतराज किये जाने पर मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई और प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के द्वारा अपने मालिकाना दस्तावेजात् प्रस्तुत किये जिस पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि रूपान्तरण) ने पत्रांक 1833 दिनांक 03.07.2017 के द्वारा तहसीलदार बावड़ी को खसरा नंबर 1565 व 1566 की जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देश दिया जिस पर तहसीलदार बावड़ी ने पत्रांक 1278 दिनांक 11.07.2017 को उक्त खसरों का संपरिवर्तन आदेश, मौके पर कब्जा/मालिकाना हक अनुसार निर्माण किया हुआ प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना उचित व प्रभावित व्यक्तियों के पास उपलब्ध



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

अभिलेख व राजस्व रिकार्ड के साथ जांच की गई, नजरी नक्शा के साथ मौका की जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने अपने पत्र क्रमांक 4070 दिनांक 07/09/2018 के जरिये तहसीलदार बावड़ी को खरारा नंबर 1565 व 1566 के खातेदारों जिनकी भूमि अवाप्त हो रही है, एवं जो व्यक्ति उक्त खरारा में हितबद्ध व्यक्ति हैं, को अपना आवेदन अलग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसकी अनुपालना में प्रार्थी एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों एवं भू-स्वामियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इसके पश्चात् प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65/62 के लिये अवाप्त की गयी भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी को अदा नहीं कर राज्य सरकार में जमा करवा दी गयी हैं। विधि अनुसार रूपान्तरित भूमि के मुआवजे की राशि को प्राप्त करने का अधिकार भूमि धारक/भू-स्वामी का होता है। प्रार्थी के द्वारा अवाप्त की गयी भूमि में अपनी भूमि के मालिकाना अधिकार के दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये थे जिसको नजरअंदाज किया जाकर मुआवजा राज्य सरकार के खाते में जमा किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र रेफरेंस प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 75 व 77 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा की राशि प्रदान ही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या-2 व 3 के द्वारा उठाई गई आपत्ति गलत व निराधार हैं। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 का उद्देश्य उद्योगीकरण, अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और नगरीकरण के लिये भू-स्वामियों तथा प्रभावित कुटुम्बों को कम से कम बाधा पहुंचाये बिना भूमि अर्जन के लिये मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया, संविधान के अधीन स्थापित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं और ग्राम सभाओं के परामर्श से, सुनिश्चित करने, तथा उन प्रभावित कुटुम्बों को, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है या जो ऐसे अर्जन से प्रभावित हुए हैं, न्यायोचित और ऋजु प्रतिकर देने और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिये, उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनिवार्य भूमि का समुच्चय परिणाम ऐसा होना चाहिये कि प्रभावित व्यक्ति ऐसे विकास में भागीदार बनें जिससे अर्जन के बाद उसकी सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में सुधार हो सके, तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का पर्याप्त उपबन्ध करने के लिये बनाया गया है लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 व 3 के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से उठाई गई आपत्तियों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थी का अवाप्त की गयी भूमि में कोई हित व कानूनी अधिकार नहीं है और अप्रार्थी संख्या-2 व 3 के द्वारा प्रार्थी को अपराधी मानकर तर्क दिये जा रहे हैं। जबकि अधिनियम के तहत दी गयी व्यवस्था के तहत किसी व्यक्ति के वाजिब एवं कानूनी क्लेम को केवल मात्र तकनीकी आधार पर नकारा नहीं जा सकता है। इस कारण भी प्रार्थी प्रार्थनापत्र में उल्लेखित अनुतोष प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या-2 व 3 के द्वारा अपनी लिखित बहस में केवल मात्र म्याद से सम्बन्धित तकनीकी आपत्तियां उठाई गई हैं, अपार्थी संख्या-2 व 3 के द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है जिससे कि यह सिद्ध हो कि दिया गया मुआवजा विधिक रूप से सही है और प्रार्थी की आपत्ति निराधार हो। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यथित व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 व 3 के द्वारा उठाई गई तकनीकी आपत्तियों में कोई पारदर्शिता नहीं झलकती है जबकि अधिनियम बनाया ही पारदर्शिता के लिये है जैसा कि अधिनियम के नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 से ही उजागर है। इन परिस्थितियों में अप्रार्थी संख्या-2 व 3 की आपत्तियां निराधार व तकनीकी होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। लिखित बहस के अंत में भूमि अवाप्ति अधिनियम के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उसे प्रार्थनापत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तवोज प्रस्तुत हुए:-



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

1-सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा.वृत्त, जोधपुर को लिखा पत्रांक 3815 दिनांक 30.12.2016 मय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 नागौर-जोधपुर खण्ड के किमी. 226.400 से किमी. 296.070 तक (चौड़ीकरण/दोलेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति का अवार्ड दिनांक 30.12.2016 की सत्यापित प्रतिलिपि।

2-प्रार्थी से संबंधित भूमि के स्वामित्व के बेचाननामों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3-कार्यालय टिप्पणी की सत्यापित प्रतिलिपि एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर के पत्रांक 367 दिनांक 24.03.2021 सत्यापित प्रतिलिपि।

अप्रार्थीपक्ष-02 व 3 की ओर से लिखित बहस दिनांक 10.07.2024, 04.12.2024 व प्रार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस दिनांक 16.12.2024 को पेश की, जिसे सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 04.12.2024 को प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थीपक्ष-02 व 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थी की भूमि जोधपुर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65/62 बस स्टेशन ग्राम बावड़ी में खसरा नंबर 1565 व 1566 में आई हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किये जाने के क्रम में सड़क के दोनों ओर की भूमि को अवाप्त किया गया था, जिसकी अधिसूचना संख्या 2329 दिनांक 12/09/2014 एवं अधिसूचना संख्या 2664 दिनांक 10/09/2015 को प्रकाशित की गयी, जिसमें अवाप्त की गयी भूमि की किस्म बारानी द्वितीय एवं बारानी तृतीय दर्शाई गई। इस पर प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों व खातेदारान् ने एतराज प्रस्तुत किया कि अवाप्त की जा रही भूमि मौके पर वाणिज्यिक/आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही हैं, जबकि मुआवजे की राशि की वाणिज्यिक/आवासीय दर से गणना नहीं की जा रही हैं। साथ ही प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों व खातेदारान् ने अवाप्त की जा रही भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक/आवासीय दर से दिलाने का व भूमि पर किये हुए निर्माण कार्य व अन्य सुख सुविधाओं का भी मुआवजा दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों व खातेदारान् के एतराज पर अधिसूचना संख्या 3091 दिनांक 12/11/2015 एवं अधिसूचना संख्या 2094 दिनांक 13/06/2016 के द्वारा अवाप्त की गयी भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन दर्शाते हुए हितबद्ध व्यक्तियों के नाम गजट में प्रकाशित किये गये एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि रूपान्तरण) ने पत्रांक 1833 दिनांक 03/07/2017 के द्वारा तहसीलदार बावड़ी को खसरा नंबर 1565 व 1566 की जांच रिपोर्ट रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देश दिया जिस पर तहसीलदार बावड़ी ने पत्रांक 1278 दिनांक 11/07/2017 को उक्त खसरों का संपरिवर्तन आदेश, मौके पर कब्जा /मालिकाना हक अनुसार निर्माण किया हुआ प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना उचित व प्रभावित व्यक्तियों के पास उपलब्ध अभिलेख व राजस्व रिकार्ड के साथ जांच की गई, नजरी नक्शा के साथ मौका की जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने अपने पत्र क्रमांक 4070 दिनांक 07/09/2018 के जरिये तहसीलदार बावड़ी खसरा नंबर 1565 व 1566 के खातेदारों जिनकी भूमि अवाप्त हो रही है, एवं जो व्यक्ति उक्त खसरा में हितबद्ध व्यक्ति कहा है, को अपना आवेदन अलग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। जिसकी अनुपालना में प्रार्थी एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों एवं भू-स्वामियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इसके पश्चात् प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65/62 के लिये अवाप्त की गयी भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी को अदा नहीं कर राज्य सरकार में जमा करवा दी गयी हैं। प्रार्थी के द्वारा अवाप्त की गयी भूमि में अपनी भूमि के मालिकाना अधिकार के दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये थे जिसको नजरअंदाज किया जाकर मुआवजा राज्य सरकार के



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

खाते में जमा किया गया है, इसके अलावा मुआवजा की गणना प्राधिकारी के द्वारा सही ढंग से नहीं की गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65/62 पर स्थित खसरा नंबर 1565 व 1566 पर कई वाणिज्यिक दुकानें/आवासीय भवन नियमानुसार सड़क के मध्य बिन्दू से 50 फुट छोड़ कर बनाई गई हैं, परन्तु मौके पर सहबन से व तथ्यात्मक भूल के चलते पूर्व में गलत सर्वे कर विधिवत भू-स्वामी की भूमि को सरकारी भूमि बताकर मुआवजा निर्धारित कर दिया गया है, जो गलत व नियमों के विरुद्ध है। इन खसरों में जारी संपरिवर्तन आदेश के अनुसार सड़क के मध्य बिन्दू से 50 फुट पर हितबद्ध व्यक्तियों के प्लॉट/भूमि/भूमि में निर्माण कार्य किया हुआ है, जिस पर संबंधित भू-स्वामी काबिज है। इन परिस्थितियों में मुआवजा निर्धारित करने में हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी व हितबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में मुआवजा राशि का अवार्ड जारी किया जाना चाहिए। बहस के अंत में भूमि अवाप्ति अधिनियम को ध्यान में रखकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उसे प्रार्थनापत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीपक्ष-2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय ही नहीं है क्योंकि जिस अवार्ड के सम्बन्ध में राशियां प्राप्त करनी मानी गयी है वह अवार्ड दिनांक 30.12.16 को पारित कर दिया गया व इन परिस्थितियों में अवार्ड को नये माध्यस्थम अधिनियम के अनुसार मात्र तीन माह में धारा 34 की आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए चैलेन्ज किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा निश्चित समयावधि में उपरोक्त अवार्ड को चैलेन्ज नहीं किया गया है। माध्यस्थम अधिनियम के अर्न्तगत निश्चित समयावधि के पश्चात किसी भी अवार्ड को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा मुआवजा की राशि को प्राप्त कर लिया गया और उसके 6 वर्ष पश्चात उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो किसी भी आधार में विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने आपको हितबद्ध बताया है परन्तु उसका क्या हित था उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मुआवजा निर्धारण करते समय जो भूमि किस्म थी उसी आधार पर अवार्ड पारित किया गया और उक्त अवार्ड के अनुसार ही सारी राशि प्रार्थी और समस्त हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त कर ली गयी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में आपत्तियां प्रस्तुत करने के तथ्य लिखे हैं वह आपत्तियां कौनसे स्तर पर तारीख महीना साल को प्रस्तुत की गयी उसका उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी व अन्य की भूमि ना ही वाणिज्यिक एवं ना ही रहवासीय परिवर्तन की हुई थी एवं ना ही उन पर विधिवत रूप से सम्बन्धित निकाय से भी कोई भूमि परिवर्तन नहीं करायी गयी। इन परिस्थितियों में जो आक्षेप भूमि अवाप्ति अधिकारी पर लगाये जा रहे हैं वह आक्षेप गलत है। मात्र अनुचित लाभ प्राप्त करने एवं अधिक सरकारी राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से उपरोक्त समस्त कार्यवाहीयां की जा रही हैं। जिसका भी कोई हक अधिकार प्रार्थी और अन्य को नहीं है। इन सबके द्वारा अविधिक रूप से उपरोक्त कार्यवाहीयां न्यायालय से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। जिसका भी कोई हक अधिकार प्रार्थी को नहीं है। जानबूझकर अवार्ड को देरी से चैलेन्ज किया गया एवं बनावटी एवं फर्जी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय का दुरुपयोग करते हुए रिपोर्ट बनायी गयी और राशियां प्राप्त करने के लिये मिथ्या कार्यवाही की गयी है। अवार्ड को चैलेन्ज माध्यस्थम अधिनियम के जरिए माध्यस्थ के समक्ष धारा 34 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। उसके उपरान्त भी जो पत्र अप्रार्थी स. 2 द्वारा दिनांक 24.03.21 को किया गया उसे भी एक साल तीन माह बाद चैलेन्ज किया गया है इसलिए भी उपरोक्त प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। अगर उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है जो विधि बाधित है। क्योंकि धारा 34 का प्रार्थना पत्र अवार्ड की दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वीकृत रूप से इस मामले में अवार्ड वर्ष 2016 में पारित कर दिया गया जो दिनांक 13.06.2016 को पारित कर दिया गया। भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 75 के अनुसार प्रार्थी के सहमत नहीं होने के कारण धारा 77 के अर्न्तगत प्राधिकरण में राशि जमा करने का प्रावधान है और हितबद्ध जाने वाला व्यक्ति चाहे वह प्रार्थी या कोई और व्यक्ति हो वह अण्डर प्रोटेस्ट



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

उपरोक्त राशि प्राप्त कर सकता है जो उसके द्वारा नहीं की गयी, इन परिस्थितियों में भी उक्त आपत्ति चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी या अन्य द्वारा किसी भी अधिनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति है और यहां पर यद्यपि आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं उसके उपरान्त भी दिनांक 24.03.2021 का आदेश जो अपर जिला कलेक्टर संख्या 03 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर उन्होंने आदेश पारित किया जो दिनांक 24.03.2021 का है अगर उराको भी अधिनिर्णय माना जावे तो उस आदेश की अपील धारा 69 या अन्य में मानकर धारा 74 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अर्न्तगत उक्त निर्णय से 60 दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता था, जो नहीं की गयी। बहस के अंत में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष की ओर अवाप्तसुदा भूमि जो जोधपुर-नागौर राजमार्ग संख्या 65/62 बस स्टेशन ग्राम बावडी में खसरा नंबर 1565 व 1566 में आई हुई है को वाणिज्यिक/आवासीय प्रयोजनार्थ मानते हुए उस पर बनी हुई बिल्डिंग की राशि के मुआवजे की भी गणना कर मुआवजा राशि दिलाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त अवाप्तसुदा भूमि से संबंधित अवार्ड दिनांक 30.12.2016 को जारी किया गया तथा अवार्ड में खसरा संख्या 1565 व 1566 ग्राम बावडी को सरकारी भूमि होने से प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में अवाप्तसुदा भूमि प्रार्थी की है अथवा प्रार्थी के स्वामित्व से संबंधित पर्याप्त प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रमाण में भी साक्ष्य/वांछित दस्तावेज नहीं दिये गये, चूंकि प्रार्थी द्वारा बताये गये तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य/वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व (Burden Of Proof) प्रार्थीपक्ष का होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पंचाट की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।



यह पंचाट आज दिनांक 08.01.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)

आर्बीट्रेटर

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

(गौरव अग्रवाल)

आर्बीट्रेटर

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)